जागरण YAHOO! INDIA दैनिक जागरण e PAPER

कर्नाटक को भाया सेवा का बिहार माडल

रविशंकर शुक्ला, हाजीपुर आम लोगों को सहज सेवा उपलब्ध कराने का बिहार माडल (लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम) कर्नाटक में भी लागू होगा। वहां इसी वर्ष एक अप्रैल से इसके तहत काम शुरू होना है, कानून पहले से बन चुका है। कर्नाटक के विधि एवं नगर विकास मंत्री एस सुरेश कुमार के नेतृत्व में यहां पहुंची टीम ने इस माडल के टाप-टू-बाटम के अध्ययन के बाद बिहार सरकार व प्रशासनिक टीम की प्रशंसा की। टीम ने बिहार के अफसरों को कर्नाटक आमंत्रित करने की बात भी कही है। राष्ट्रीय स्तर पर सिटीजन चार्टर के मुद्दे पर छिड़ी बहस को केन्द्र में रखते हुए मंत्री श्री कुमार ने कहा कि बिहार में जो प्रयास हुआ है वह आम जनता को पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने का असरदार प्रयास है। श्री कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम मंगलवार को वैशाली पहुंची। टीम में वहां के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. जयराज, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अमिता प्रसाद और सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव शालिनी रजनीश शामिल थीं। मंत्री समेत टीम के सदस्यों ने बारीकी से बिहार माडल का अध्ययन किया। उन्होंने वैशाली के लालगंज, वैशाली, गोरौल एवं हाजीपुर सदर प्रखंड का दौरा कर न सिर्फ आम लोगों से बातचीत की बल्कि प्रखंड के कर्मचारियों एवं अफसरों से भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। हाजीपुर सदर प्रखंड मुख्यालय में जिला परिवहन कार्यालय द्वारा अधिनियम के अंतर्गत लोगों को उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं पर डीटीओ राज कुमार प्रताप सिंह से और साथ में चल रहे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के सचिव बी. राजेन्दर, वैशाली के डीएम प्रेम सिंह मीणा, एसपी उपेन्द्र कुमार सिन्हा समेत अन्य अफसरों से भी जगह-जगह विस्तार से जानकारी ली। शाम करीब चार बजे टीम जिला मुख्यालय हाजीपुर स्थित समाहरणालय परिसर पहुंची। यहां मे आई हेल्प यू काउंटर पर रजिस्टर का अध्ययन किया एवं जानकारी हासिल की। डीएम ने बताया कि यहां 15 अगस्त 2011 से अब तक 14 हजार 255 लोगों को सेवाओं के संबंध में जानकारियां उपलब्ध करायी गयी है। अंत में सभाकक्ष में पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से टीम को इस माडल की विस्तार से जानकारी दी गयी। अध्ययन करने के बाद श्री कुमार जब मीडिया से मुखातिब हुए तो कहा कि सीमित संसाधनों में जिस तरह यहां काम हुआ है, प्रशंसनीय है। बिहार सरकार के प्रयास से यहां पारदर्शी व्यवस्था कायम हुई है, रिश्वतखोरी का अंत हुआ है।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति